क्रम-सं०–9(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 20011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 जनवरी, 2011

पौष 24, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–10

संख्या 102/6-पु०-10–11-27(7)-2008 टी०सी०

लखनऊ, 14 जनवरी, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–6

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और उक्त धारा की उपधारा (3) के साथ पठित धारा (46) की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 9 का संशोधन

24

2–उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9–अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनें :–	**9–अधिमानी अर्हता**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनें
(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या	(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण- पत्र प्राप्त किया हो।	(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या
(ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या	(तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या
(घ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि संस्थान से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।	(चार) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि संस्थान से विधि की उपाधि प्राप्त की हो।

टिप्पणी:–उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन में (श्रेष्ठता सूची) वरीयता दी जायेगी।

नियम 15 का संशोधन

उक्त नियमावली के नियम–15 में,–

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपखण्ड (तीन), (पांच) (घ)(छः) और (सात) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये खण्ड (तीन), (पांच) (छः) और (सात) और (आठ) क्रमशः रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
(तीन) आवेदन पत्र कार्बन प्रति सहित ओ० एम० आर० पत्रक पर होगा।	(तीन) आवेदन पत्र ओ० एम० आर० पत्रक पर होगा।
(पांच) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, बारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्र, होम गार्ड प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।	(पांच) अभ्यर्थियों को अपना व्यक्तिगत विवरण यथा जन्मतिथि, लिंग, शैक्षिक अर्हता, श्रेणी अधिमानी अर्हता जैसे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होम गार्ड, भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी ओ०एम०आर० आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लिखित करेंगे। इन योग्यताओं/विवरणों

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
	से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियां, मूल प्रमाण पत्रों के साथ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र स्थल पर शारीरिक मानक परीक्षण संचालित करने वाले अधिकारियों द्वारा संवीक्षा किये जाने हेतु प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा। दल अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये संगत प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों को समुचित संवीक्षा और मूल प्रमाण पत्रों से उनका मिलान करने के पश्चात स्वीकार करेगा और भविष्य हेतु दस्तावेजीकरण तथा सत्यापन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को हस्तगत करने से पूर्व उनको भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति तक अनुरक्षित करेगा।
(घ) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकायें जायेंगे, एक फोटो आवेदन–पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर होगा।	(छः) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर चिपकायें जायेंगे, एक फोटो आवेदन–पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर समुचित स्थान पर अथवा बोर्ड द्वारा अपेक्षित स्थान पर चिपकाया जायेगा।
(छः) आवेदन पत्र अधिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकता है।	(सात) आवेदन पत्र अधिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकेगा है।
(सात) समुचित रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये, जहां से वे क्रय किये गये हों।	(आठ) समुचित रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये, जहां से वह इसी प्रकार क्रय किया गया है।

(ख) नीचे दिये गये स्तम्भ–1 में विद्यमान खण्डों (ख), (घ) (छः) (ज) और (झ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षा के समय प्रमाण पत्रों की प्रतियों का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण पत्र से कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर/बैंक के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहॉ से आवेदन पत्र क्रय किया गया था/प्रस्तुत किया गया था/ बोर्ड गहन विचारोपरान्त बुलावा पत्र भेजने के लिये किसी अन्य उपयुक्त साधन का भी उपयोग कर सकता है।	**बुलावा पत्र–** (ख) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षण के समय प्रमाण-पत्रों की प्रतियों का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण-पत्र से कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र स्कैन किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर/बैंक के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहॉ से आवेदन पत्र क्रय किया गया था/प्रस्तुत किया गया था/ बोर्ड गहन विचारोपरान्त बुलावा पत्र भेजने के लिये किसी अन्य उपयुक्त साधन का भी उपयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षण का दिनांक और समय सहित शारीरिक

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ले जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है, तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा बुलावा पत्र की दूसरी प्रति जारी की जायेगी।	मानक परीक्षण का कोड/नाम/डाक का पता/स्थल बुलावा पत्र पर सफाई से उल्लिखित किया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर संवीक्षा के लिए ऐसे दस्तावेज जो अभ्यर्थी से अपेक्षित हों को सफाई से बुलावा पत्र पर संसूचित किया जायेगा। बुलावा पत्र शारीरिक मानक परीक्षण से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि परीक्षण प्रारम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो अभ्यर्थी वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड से समस्त/संचार/पत्राचार में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड उद्धृत करना होगा। बोर्ड द्वारा द्वितीय बुलावा पत्र निर्गत किया जायेगा।
(घ) **चिकित्सा परीक्षा में सफल** घोषित अभ्यर्थियों से एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की /अर्हकारी प्रकृति की प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी।	(घ) खण्ड (ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों से एक वस्तुनिष्ठ प्रकार/अर्हकारी प्रकृति की प्रारम्भिक लिखित परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षण 200 अंकों का होगा।
प्रस्तर–15 (छ) चिकित्सा परीक्षा– मुख्य लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा होगी जो ऐसी होगी जैसा परिशिष्ट–3 में विहित है।	**(छ) समूह परिसंवाद–** खण्ड (ख) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसके लिए प्रत्येक दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जायेगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ मनोविश्लेषक और अपराध विज्ञानी होगा, के पर्यवेक्षण में बोर्ड के अध्यक्ष अथवा उसका नाम निर्देशिती और उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अपर पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति में किया जायेगा। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन परिसंवाद के लिये प्रस्तुत किया जायेगा और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन सम्मिलित होगा। यह अंक बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिये जायेंगे।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
प्रस्तर–15 (ज) समूह परिसंवाद– नियम–15 (च) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। जिसके लिए दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जायेगा/समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती की उपस्थिति में संपादित की जायेगी, जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक एवं अपराध विज्ञानी, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित पुलिस अपर महानिदेशक समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस बाद अध्ययन परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जायेगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। इन अंकों का बोर्ड की वेबसाइट मैं भी अपलोडेट किया जायेगा। टिप्पणी– 1–समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जायेगी।	**टिप्पणी–1.** समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और उसकी एक सी०डी० तैयार की जायेगी। **टिप्पणी–2** समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कररने हेतु अधिकारियों का चयन समिति में नाम निर्देशन किया जायेगा। **टिप्पणी–3** लिखित परीक्षा संचालित करने के लिए प्रक्रिया वही होगी जैसाकि परिशिष्ट–3 में विहित किया गया है। **(ज) अनन्तिम चयन सूची** नियम 15 के खण्ड (खण्ड) के अधीन मुख्य परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक खण्ड (छ) के अधीन समूह परिसंवाद में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे। मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों को आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण और कागजातों /चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। इसे अग्रेतर कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने के मामले में मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। बोर्ड प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की बेवसाइट पर अपलोड करेगा। **नोट :–** यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता को निम्नलिखित नीचे उल्लिखित क्रम में विनिश्चित किया जायेगा :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
2–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किया जायेगा।	(1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हैं।
3–लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–3 में विहित है।	(2) यदि इसके पश्चात भी, दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जायेगा जिसने कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में सेवा की हो अथवा नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण प्रत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की एक अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जायेगा।
	(3) इसके पश्चात भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो।
	(4) इसके पश्चात भी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता है।
(झ) चयन और योग्यता सूची:– नियम 15(च) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को नियम 15(ज) के अधीन समूह संवाद में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ा जायेगा। बोर्ड आरक्षण सम्बन्धी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अकों द्वारा प्रकट उनकी योग्यता सूची में क्रम में अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करे तो मुख्य लिलिख परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को योग्यता सूची में रखा जायेगा। बोर्ड सभी अभ्यर्थियों की चयन सूची को बेवसाइट मे अपलोड करेगा और विभागाध्यक्ष को अग्रेसित करेगा।	**(झ) चिकित्सा परीक्षण :–** खण्ड (छ) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद के पश्चात् अनन्तिम चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्त प्राधिकारी चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। इस नियमावली के नियम 13 के अनुसार चिकित्सा परीक्षण उ० प्र० पुलिस मुख्यालयों में संचालित किया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया संलग्नक–4 में दी गयी है चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जायेंगे।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
	(ञ) चरित्र सत्यापन :– नियुक्त पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व चरित्र सत्यापन को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। चरित्र/कागजातों का सत्यापन साधारणतया एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। अभ्यर्थी गण यदि चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जायें अथवा उनके कागजातों/चरित्र सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश मों लाया जाये तो वे अभ्यर्थी नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दिये जायेंगे और ऐसी रिक्तियां अग्रेतर चयन के लिए अग्रेनीति कर दी जायेगी। (क) चरित्र सत्यापन के समय, अभ्यर्थियों से आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र खेल प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्र चरित्र प्रमाण-पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में युनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र और सभी अन्य संबंधित प्रमाण-पत्र जिनके सम्बन्ध में उसने क्षैतिज अथवा उर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का दावा किया है नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित करने की और उनकी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। (ख) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के लिए हाईस्कूल प्रमाण-पत्र, खेलों के लिए जिला/राज्य /राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण-पत्र, जाति/मूल निवास के लिए तहसीलदार अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा और आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर बाये और दायें अंगूठे का निशान लगाना होगा। अभ्यर्थियों से तहसील, विकास खण्ड, गांव और पिन कोड सहित डाकघर के विवरणों सहित पूर्ण डाक का पता उपलब्ध कराने की अपेक्षा जायेगी। (ग) उपरोक्तानुसार, प्राथमिक प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को भेजे जाने से पूर्व संबंधित नियुक्त प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी प्राथमिक प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। जिनके बारे में चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य आये हों।

नियम 19 का प्रतिस्थापन

4–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
19–(1) नियम 15(1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 15(ग), 15(घ), 15(ड़), और उपनियम 15(च), के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियां करेगा। (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो, एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा, जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा दोनों प्रकार से की जाय तो नामों को नियम 15(ड), में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार रखा जायेगा: परन्तु यह सेवा में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।	नियुक्ति :– 19–(1) नियम 15 के खण्ड (क) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामो को इसी क्रम में लेकर, जिस क्रम में नियम 15 के खण्ड (ख) के अधीन तैयार की गयी सूची गें स्थित हो, नियुक्तियां करेगा। (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो, एक सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसगें यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिस संवर्ग से उन्हें पदोन्नत किया गया हो, ज्येष्ठता क्रम में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख होगा परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

परिशिष्ट 1 का संशोधन

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट एक के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट–1	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट–1
शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन 03 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– 1–परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2–चिकित्सक/कोषाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3–पुलिस उपाधीक्षक	शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन तीन सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– 1–परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2–चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3–पुलिस उपाधीक्षक

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
पुरूष अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक	(1) यह उक्त दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण -पत्रों के मूल और अभिप्रमाणित छाया प्रतियों की संवीक्षा करें और इस बाद की जांच करें कि अभ्यर्थी द्वारा अपने ओ०एम०आर० आवेदन-पत्रों में प्रदान की गयी सूचना के मध्य कोई विसंगति न हो। आवेदन-पत्रों अर्थात आवेदन-पत्रों, शैक्षणिक अर्हता आवेदन-पत्र, खेल आवेदन-पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर/टेरिटोरियल आर्मी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन आवेदन-पत्र, होम गार्ड सेवा साबूत आवेदन-पत्र, चरित्र आवेदन-पत्र भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज आवेदन-पत्र, उर्ध्वाधर आरक्षण का दावा करने के मामलें में जाति प्रमाण-पत्र और खण्ड (क) नियम15 (सात) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले क्षैतिज आरक्षण के मामलें में निवास आवेदन-पत्रों के सम्यक परीक्षण और मिलान करने के पश्चात उक्त दल सुसंगत आवेदन-पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करेगा और भावी दस्तावेजीकरण तथा सत्यापन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त आवेदन-पत्रों को प्रस्तुत करने के पूर्व भर्ती की प्रक्रिया की समाप्ति तक उन्हें अनुरक्षित रखेगा।
ऊंचाई	(2) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है।
(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियो के लिए ऊंचाई 168 सेटीमीटर है।	**सीने की माप** सामान्य /अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर न्यूनतम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए बिना फुलाए हुए 77 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर अन्यून 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
(2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है। **सीने का फुलाव**	टिप्पणी :– सीने का फुलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आवश्यक है।
सामान्य /अन्य पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति के सीने का फुलाव–84 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के सीने का फुलाव 82 सेंटीमीटर टिप्पणी:– न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।	(3) महिला हेतु न्यूनतम शारीरिक ऊंचाई का मानक– सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजातियों के महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। वजन–न्यूनतम 40 किलोग्राम

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक :– ऊंचाई (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियो के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेटीमीटर है। (2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेन्टीमीटर है। वजन 45 से 58 किलोग्राम	
(3) स्टेडियम/पुलिस लाइन जहॉ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।	(4) स्टेडियम/पुलिस लाइन्स जहॉ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण के लिए अर्हता हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायगा।
(4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाइन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या प्रति टीम 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए, किन्तु गठित किये गये दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट या बढ़ सकती है।	(5) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाइन्स / स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए, किन्तु गठित किये गये दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है।
(5) दल के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।	(6) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।
(6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम परीक्षा के समापन होने के तत्काल बाद परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माइक पर उद्घोषित किया जायेगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की बेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।	(7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माइक पर उद्घोषित किया जायेगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की बेवसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा।
(7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	(8) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकी कृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट 2 का संशोधन

6–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) और (ङ) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में अनधिक 100 (एक सौ) इस प्रकार विनिश्चित की जायेगी जिससे की परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रक्रिया प्रभावित न हो। इस परीक्षा/परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूरा किया जायेगा। अभ्यर्थियों की अतिशय संख्या के कारण पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ऐसा कोई विनिश्चय कर सकता है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकता है।	(क) शारीरिक दक्षता परीक्षा दल के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूची के अनुसर किसी विशिष्ट दिनांक को शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा संचालित की जाये। सम्पूर्ण राज्य में यह परीक्षा एक सप्ताह में पूरी की जायेगी। अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थियों के होने की स्थिति में बोर्ड समयावधि को बढ़ाने का विनिश्चय कर सकता है।
(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और बोर्ड की बेवसाइट पर नित्य अपलोड की जायेगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/पुलिस उपाधीक्षक /सहायक पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जायेगी।	(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्ण होने पर समस्त सफल /असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के समस्त सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

परिशिष्ट 3 का संशोधन

7–उक्त नियमावली में, परिशिष्ट–तीन में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (घ) स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
(घ) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0 पत्रक उपलब्ध कराया जायेगा। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी कार्बन प्रति अपने साथ ले जा सकते है। जब सभी अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो जाय तो परिणाम को बोर्ड की बेबसाइट पर उत्तर कुंजी सहित विषयवार उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के साथ लोड किया जायेगा।	(घ) लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगा, जिसकी मूलप्रति स्कैनिंग के लिये प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कापी बोर्ड के अभिलेख के लिये और दूसरी कापी अभ्यर्थियों के लिये होगी। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के साथ कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

परिशिष्ट–चार का संशोधन

8–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट–चार के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
सीधी भर्ती के लिये चिकित्सीय परीक्षण	**चिकित्सा परीक्षा परिषद**
जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उसमें चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो **पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड** अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। जहाँ कहीं भी परीक्षण आयोजित होता है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।	मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद पूर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थियों जो अन्तिम चयन सूची में स्थान प्राप्त किये हों, को अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इस संव्यवहार का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 50) का विनिश्चय इस प्रकार किया जायेगा कि चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण की जाये। यदि चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने के लिये **विनिश्चय किया जा सकता है।** चिकित्सा परीक्षा संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षण में अर्ह होने के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को, जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय या तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहां कहीं भी चिकित्सा परीक्षा संचालित की जा रही हो, के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण (क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतः मानव शरीर की कमियां जैसे नॉक–नी, बो–लेग्स, फलैट–फीट, वेरीकोजवेन्स, दूर एव ंिकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रेबीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, बेबर–टैस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है।	(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा परिषद मुख्तया मानव शरीर की कमियां, यथा नॉक–नी, बो–लेग्स, फलैट–फीट, वेरीकोजवेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रेबीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, बेबर्स–टैस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। यदि परिस्थितियॉ ऐसी वारन्टी दें तो पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात अन्य परीक्षा आयोजित कर सकता है।
(ख) दिन के अन्त में प्रत्येक दिन परिणामों को सूचना पट्ट एवं माइक पर घोषित/प्रदर्शित किया जायेगा।	(ख) दिन के अन्त में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जायेगा और माइक पर उद्घोषित किया जायेगा।
(ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जायेंगे दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।	(ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
(घ) चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका ज्येष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम प्रतिदिन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां भी सम्भव हो उसे बोर्ड के वेब–साइट पर अपलोड किया जायेगा।	(घ) चिकित्सा परीक्षा अर्हकारी है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा के परिणाम को प्रत्येक दिन सूचना पट्ट पर संप्रदर्शित किया जायेगा और जहां कहीं सम्भव हो इसे बोर्ड के वेब–साइट पर अपलोड किया जायेगा।

आज्ञा से,
नेतराम,
प्रमुख सचिव।